न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/एनएच/ 89/2018

विजयराम पुत्र श्री टीकाराम जाति जाटव निवासी खानुआ तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (परियोजना इकाई) नेशनल हाईवे संख्या 123 दौसा जिला दौसा
2– सक्षम अधिकारी भूमि आवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी,) रुपवास
3–यूनियन ऑफ इण्डिया तामील जरिये सचिव एन.एच.ए. आई नेशनल हाईवे

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी नेशनल हाईवे एक्ट 1956 दिलाये जाने एवार्ड तारीख निल सक्षम प्राधिकारी(उपखण्ड अधिकारी)रुपवास बाबत अवाप्त करने भूमि राष्ट्रीय राज माग्र संख्य 123 क्रनगला से घौलपुर आराजी खसरा नम्बर 1290 मे से 16.46 X 6.5 मीटर ग्रांम खानुआ तहसील रुपवास।

उपस्थितः–
1–श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री राकेश धाकड़, अभिभाषक अप्रार्थी न.1

निर्णय

दिनांक 03.07.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी एन0एच0एक्ट विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 को हाईवे बनाने चौडा करने हेतु भूमि अवाप्ति की सूचना भारत का राजपत्र दिनांक 8मई 2015 को प्रकाशित कर अवाप्त की थी जिसमे खानुआ तहसील रुपवास की आबादी भूमि में से प्रार्थी के अबादी के खसरा नम्बर 1290 में से 16.46 X 6.5 मीटर भूमि अवाप्त किया गया है, जिसका संलग्न

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

एवार्ड विपक्षी संख्या 2 ने पारित किया है। प्रार्थी को अवाप्त भूमि का मुआवजा आबादी की दर से दिया गया है जब कि अवाप्त भूमि पर प्रार्थी का मकान बना हुआ तथा दुकान बनी हुई है। अवाप्त भूमि सड़क के नजदीक होने से वाणिज्यक दर से मुआवजा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलवी की गई। अप्रार्थी को ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गयां। उपखण्ड अधिकारी रुपवास से रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी रुपवास से प्राप्त रिपोर्ट शामिल मिसिल की गई।

योग्य अभिभाषक को सुना गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि उसके प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य ही उसकी बहस शुमार की जावे। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाब को बहस ट्रीट किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन। प्रार्थना पत्र प्रार्थी में अंकित कथनों पर गौर किया तथा अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाब में अंकित तथ्यों पर गौर किया। प्रार्थी का मुख्य कथन है कि उसकी अबादी के खसरा नम्बर 1290 में से 16.46 X 6.5 मीटर भूमि अवाप्त की गई है, उसका मुआवजा आबादी की दर से गलत दिया गया है, प्रार्थी को वाणिज्यक/आवासीय दर से मुआवजा दिया जावे।

अप्रार्थी एन.एच. द्वारा प्रस्तुत जबाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अबादी के खसरा नम्बर 1290 में से 16.46 X 6.5 मीटर भूमि अवाप्त की गई है, जिसका अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार समस्त विधिक प्रक्रिया अपना कर भूमि की प्रकृति आबादी मानते हुये समुचित मुआवजा राशि का निर्धाण कर मुआवजा राशि 1165521.00 रुपये का अवार्ड दिनांक 3.2.17 में क्रम संख्या 49 पर पारित किया गया है, जो विधिनुसार सही है। जहॉ तक प्रश्न अवाप्त भूमि होने का है इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे अवाप्त शुदा भूमि को वाणिज्यक माना जा सके। इस प्रकार प्रार्थी किसी भी प्रकार का रिलीफ पाने की हकदार नही रहता है। अस्तु प्रार्थना पत्र प्रार्थीया काबिल खारिज के रहता है।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र याचिका प्रार्थीया खारिज की जाती है। निर्णय प्रति भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) रुपवास को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.7.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर